

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मांगीलाल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-129/2020

1. राकेश कुमार } पि० साहबराम जाति जाट निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी
2. कृष्ण कुमार } जिला हनुमानगढ। वादीगण

बनाम्

1. साहबराम पुत्र गिरधारी } जाति जाट निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी
2. गिरदावरी पत्नी साहबराम } जिला हनुमानगढ।
3. चन्द्रकला पुत्री साहबराम पत्नी गुरदयाल जाति जाट निवासी 7 एम जैड डबल्यू
डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष
वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर प्रसाद वर्मा वकील वादीगण
मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेइ होकर हुक्म
दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि क.वादी सं० 1 राकेश कुमार को चकनं० 1
केएसपी बी के खाता सं० 102/87 में अंकित कुल .759 है० ख.वादीसं० 2 कृष्ण
कुमार को चकनं० 1 केएसपी ए के खाता सं० 78/70 में अंकित .594 है० आराजी
के खातेदार कस्तकार घोषित किये जाते है उपरोक्त अनुसार खाता तकसीम कर
रकमराज अलग से कायम की जाकर चकनं० 1 केएसपी बी के खाता सं० 102/87
व चकनं० 1 केएसपी ए के खाता सं० 78/70 में से प्रतिवादीसं० 1 साहबराम का
नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में
अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के फ़्वात्
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फ़ैसलक्षुमार होकर बाद तरतीब
तकमील दाखिल दफतर हो।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक

.....अदा करें।
बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....10.09.2020.....को जारी
किया गया।



Maangilal
(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी